संख्या-46/2015/वे0आ0-2-836 /दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2015**

विषय :-- मुख्य सचिव समिति द्वारा फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वे0आ0-2-695/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा संसूचित निर्णय के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2015 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-iii की तालिका में क्रम संख्या-4 के सम्मुख फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी के लिये स्तम्भ-2 में अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया में सीधी भर्ती हेतु उल्लिखित अर्हता **" बी0एस0सी0 (बायोलोजी के साथ)"** के स्थान पर **"एम0एस0सी0 (जन्तु विज्ञान) "** की अर्हता प्रतिस्थापित की जाये।

2- उपर्युक्त पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-46/2015/वे0आ0-2-836(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in